रामाकृष्णा राव (मृतक) जरिये विधिक प्रतिनिधि

बनाम

राय मुरारी

(सिविल अपील सं. 454-455/2002)

21 जनवरी, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सथाशिवम, जे.जे.)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908;

स्थायी निषेधाज्ञा - अपीलकर्ता ने वादग्रस्त संपत्ति के शान्तिपूर्ण कब्जे में दखल रोकने के लिये प्रत्यर्थी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया - विचारण न्यायालय द्वारा ख़ारिज - प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उलट दिया गया - उच्च न्यायालय द्वारा इस निर्देश के साथ पुष्टि की गई कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी की पत्नी को तथाकथित इकरारनामे की शर्तोनुसार दी गई निश्चित राशी वापिस लौटाई जावे -

शुद्धता - अभिनिर्धारित ; गलत - उच्च न्यायालय ने अभिमत देने में रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित पूर्ण रूप से अविश्वसनीय सामग्री पर विचार किया - निर्देश स्पष्ट रूप से असमर्थनीय - अतः रद्द किया गया।

अपीलार्थी ने प्रतिवादी/प्रत्यर्थी को वादग्रस्त संपत्ति के शान्तिपूर्ण कब्जे तथा उपयोग में बाधा डालने से रोकने हेतु निर्देश के लिये स्थायी

निषेधाज्ञा का वाद दायर किया। वाद को निचली अदालत ने खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध दायर अपील को प्रथम अपील न्यायालय ने स्वीकार किया था। इसके विरूद्ध दायर अपील को उच्च न्यायालय ने इस निर्देश के साथ खारिज कर दिया था कि अपीलार्थी निश्चित राशी प्रतिवादी को भुगतान करे। पुनरीक्षण याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी। इसलिये वर्तमान अपील -

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की, जैसे कि निषेधाज्ञा का वाद इस आधार पर दाखिल किया गया था कि वादी ने प्रतिवादी की पत्नी के साथ एक समझोता किया था। समझौते के आधार पर प्रतिवादी की पत्नी ने दावा किया था कि भूमि के कब्जे तथा संपत्ति में अधिकार किसी निषेधाज्ञा के माध्यम से या अन्यथा वादी द्वारा छीना नहीं जा सकता हैं।

यह उच्च न्यायालय द्वारा दिमाग का पूरा उपयोग नहीं करना प्रकट करता है। यह वाद में वादी का मामला नहीं है, बल्कि वास्तव में यह प्रतिवादी का मामला था। आलोच्यता को जोडने के लिये, उच्च न्यायालय ने पाया कि समझौता, प्रथम अपील न्यायालय द्वारा वैध पाया गया और इसलिए वादी का यह कर्तव्य था कि वह ब्याज के साथ प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर से राशि वापस करे। यहा तक कि पहले अपील न्यायालय के आदेश की गहरी जांच करने पर भी यह देखा गया कि इस तरह का

कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं था। प्रथम अपील न्यायालय के आदेश से यह स्पष्ट है किए विक्रय के लिए एक समझौते के कथित अस्तित्व के बारे में वादी का आधार स्थापित नहीं किया गया था। (पेरा 3) (983 ई,एफ,जी,एच, 984-ए)

1.2 चूंकि उच्च न्यायालय ने पूर्ण रूप से अविश्वसनीय सामग्री पर विचार किया तथा अभिमत दिया जोकि अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के विरोधाभासी था । अभिलिखित निष्कर्षए जो धन की वापसी के लिए निर्देश हैए स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है और अपास्त किया गया है। (पेरा 5) (985 बी, सी)

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं0 454-455/2002

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलौर के अन्तिम निर्णय तथा आदेश दिनांक 13.02.1998 और 07.03.2001 नियमित द्वितीय अपील नं. 183/1994 और आ. पी. नं. 856 में कलकत्ता के हाईकार्ट के 13.02.1998 को अन्तिम निर्णय और 07.03.2001 को लेकर आर.पी. नं. 856/2000 से दर्ज किया गया।

एस.एन. भट्ट, एन.पी.एस. पंवार तथा डी.पी. चतुर्वेदी - अपीलार्थी की ओर से

एम.एम. कश्यप - प्रत्यर्थी की ओर से

डॉ. अरिजित पसायत, जे.

1. इन अपीलो में चुनौती कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय पर है, जिसने प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल दूसरी अपील को खारिज करते समय, कुछ निर्देश दिए जो अपीलार्थी के अनुसार किसी निष्कर्ष के अभाव में नहीं दिए जा सकते थे।

2. अपीलार्थी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक वाद इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया कि प्रतिवादी/प्रत्यर्थी को, वादग्रस्त संपत्ति पर शान्तिपूर्ण कब्जे और उपभोग में हस्तक्षेप करने से, रोका जावे। विचारण न्यायालय ने वाद को खारिज कर दिया किन्तु प्रथम अपील न्यायालय ने अपील को स्वीकार किया। उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील मे उपर वर्णित अनुसार उसे खारिज कर दियाए लेकिन अपीलार्थीयों द्वारा प्रत्यर्थी को निश्चित राशी भुगतान का निर्देश दिया। इस संबंध में निर्देश निम्नानुसार हैः

> "अब प्रतिवादी की शिकायत है कि वादी, संपत्ति और साथ ही 19.06.1983 को प्रतिवादी की पत्नी द्वारा भुगतान की गई राशि का लाभ नहीं ले सकता । साम्या और विधि में, क्योंकि समझौता प्रथम अपील न्यायालय द्वारा वैध पाया गया है, यह वादी का कर्तव्य है कि 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के साथ रू. 5000/- लौटाए । ऐसी राशी उस संपत्ति में प्रभारित की जाएगी । वादी को छह महीने की अवधि के

भीतर ऐसा भुगतान करने के लिये निर्देशित किया जाता है और निषेधाज्ञा की डिक्री केवल भुगतान किए जाने के बाद ही प्रवर्तन में आएगी। उपरोक्त दिशा के अधीन, दूसरी अपील खारिज की जाती हैं।"

3. बाद में, रू. 5000/- की राशि 32000/- में परिवर्तित कर दी गई । उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की मानो निषेधाज्ञा का वाद इस आधार पर था कि वादी ने 19.06.1983 को प्रतिवादी की पत्नी के साथ एक समझौता किया था। आगे यह भी कहा गया कि समझौते के आधार पर प्रतिवादी की पत्नी ने दावा किया था कि भूमि के कब्जे तथा संपत्ति में अधिकार किसी निषेधाज्ञा के माध्यम से या अन्यथा वादी द्वारा छीना नहीं जा सकता हैं। कम से कम कहने के लिए, यह दिमाग का पूरा उपयोग नहीं करना प्रकट करता है। यह वाद में वादी का मामला नहीं है, बल्कि वास्तव में यह प्रतिवादी का मामला था। आलोच्यता को जोडने के लिये, उच्च न्यायालय ने पाया कि समझौता, प्रथम अपील न्यायालय द्वारा वैध पाया गया और इसलिए वादी का यह कर्तव्य था कि वह ब्याज के साथ प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर से राशि वापस करे। यहॉ तक कि पहले अपील न्यायालय के आदेश की गहरी जाँच करने पर भी यह देखा गया कि इस तरह का कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं था। इसके विपरीत, प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश के पेरा 19 से 21 में, यह स्पष्ट है कि प्रथम अपील न्यायालय ने पाया कि विक्रय के लिए एक समझौते के कथित

अस्तित्व के बारें में वादी का निश्चित आधार स्थापित नहीं किया गया था। पूर्वोक्त अनुच्छेदों में जो कहा गया है उस पर ध्यान देना प्रासंगिक हैः

> "19 इस संबंध में वादी की ओर से आग्रह किया गया था कि दस्तावेज एक तैयार किया गया दस्तावेज है क्योकि प्रतिवादी की पत्नी इतना बडा खर्च उठाने की स्थिति में नहीं थी । यह एक स्वीकृत तथ्य है कि वादी एवं प्रतिवादी के बीच एक लोन संव्यवहार हुआ है और उक्त राशि की वसूली के लिए एक मुकदमा दायर किया गया है जो मुंसिफ न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया है। वाद नियमित सिविल संख्या 118/84 पर फाईल किया गया है। वादी के अनुसार अगस्त 1983 में राशी 11500 रूपये का भुगतान किया गया तथा बिना भुगतान की शेष राशी के लिये O.S.No 118/84 उनके विरूद्ध दायर किया गया। यह आग्रह किया गया कि प्रतिवादी कथित राशी का भुगतान करने की स्थिति में नहीं था तथा प्रति एकड़ रूपये 2000/- की दर से जमीन की खरीद के लिए एक समझौते में प्रवेश करना काफी असंभव था। डी.डब्ल्यु. 2 के द्वारा बताया गया है कि होरानी गांव में स्थित संपत्ति को उसने स्वामी जो उसकी पत्नी है, उसके द्वारा बेचा गया है, परन्तु प्रतिवादी की पत्नी को, ना न्यायालय के समक्ष परिक्षित किया गया व ना ही कोई

अन्य सामग्री प्रस्तुत की गई है, जिससे यह दर्शित हो सके कि वह गैर-वाद संपत्ति के साथ वादग्रस्त संपत्ति खरिदने के लिये इतनी राशी का भुगतान करने की स्थिति में थी।"

20. यहां यह भी देखा जा सकता है कि वादी ने दस्तावेज के निष्पादन से इनकार किया है और कथित लेन-देन को भी अस्वीकार कर दिया हैं। उक्त संव्यवहार को संपरिवर्तित करने हेतु वादी के विरूद्ध विक्रय के समझौते की विनिर्दिष्ट पालन के लिये प्रतिवादी की पत्नी के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि उन्हें इस बात की जानकारी हो गयी कि कथित समझौते का वादी द्वारा खण्डन किया गया हैं।

21. प्रदर्श डी.2 पर दस्तावेज का अवलोकन से स्वयं यह दर्शित होता है कि दस्तावेज में दो स्थानों पर दिखने वाले Sy.No.715 पर कांट-छांट कि गयी हैं। उसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि शेष राशी लेकर अगले वर्ष, मई के महीने में, दस्तावेज लेना होगा। समय व्यतित होने के पश्चात, जैसा कि अब तक तर्क प्रस्तुत किया गया है, वादी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है, इसलिये प्रतिवादी की पत्नी तथा उसके माध्यम से दावा करने वाले प्रतिवादी को प्राप्त समानता का अधिकार, समय व्यतित हो जाने के कारण नष्ट हो गया है।"

4. प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं-

5. अपीलार्थी द्वारा इन पहलुओ पर प्रकाश डालने हेतु एक पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत की गई, परन्तु उसे उच्च न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया। चुंकि उच्च न्यायालय ने पूर्णतया अविष्वसनीय सामग्री पर कार्यवाही की और अभिलिखित निष्कर्ष जो अभिलेख और अभिलिखित निष्कर्षो की सामग्री के विपरीत है, इसलिये धन की वापसी का निर्देश स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है तथा इसे अपास्त किया गया हैं।

6. अपीलो को उपरोक्त विस्तारप्रद बिना कोस्ट के स्वीकार की जाती हैं।

अपील की अनुमति दी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मुकेश चावला (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।